लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 4527

19 जुलाई, 2019 को उत्तर दिए जाने के लिए

हथकरघा बुनकर

4527. श्री रवि किशन:
रविन्दर कुशवाहा:
श्री रामदास तडस:

क्या **वस्त्र मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने राजस्थान, उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र सहित विभिन्न राज्यों में हथकरघा बुनकरों की संख्या का पता लगाया है और यदि हां, तो अब तक चिन्हित किए गए ऐसे बुनकरों की संख्या कितनी है;

(ख) वर्तमान में उक्त राज्यों में रूग्ण बुनकर सहकारी समितियों की संख्या कितनी है;

(ग) इन समितियों को पुन: चालू करने के लिए योजनाओं यदि कोई हों, तो, का ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार बाजार में मिल में विनिर्मित छापे वाली साड़ियों की आपूर्ति से अवगत है जो हथकरघा डिजाइनों की नकल कर रही हैं और हथकरघा क्षेत्र को प्रतिकूल रूप से प्रभावित कर रही हैं;

(ङ) यदि हां, तो सरकार द्वारा इसे रोकने के लिए क्या विशिष्ट कदम उठाए गए हैं; और

(च) सरकार द्वारा विगत तीन वर्षों के दौरान हथकरघा उद्योग को बचाने और हजारों हथकरघा बुनकरों की आजीविका को सुरक्षित रखने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

उत्तर
वस्त्र मंत्री
(श्रीमती स्मृति ज़ूबिन इरानी)

(क): तीसरी हथकरघा गणना के अनुसार राजस्थान, उत्तर प्रदेश तथा महाराष्ट्र सहित देश में 43.31 लाख हथकरघा बुनकर एवं संबंद्ध कामगार हैं। हथकरघा बुनकरों तथा कामगारों की राज्य-वार संख्या दर्शाने वाला विवरण अनुबंध-I में दिया गया है।

(ख) और (ग): बुनकर सहकारी समितियां राज्य सरकारों के कार्य क्षेत्र के अंतर्गत आती है। तथापि प्राप्त रिपोर्टों के आधार पर अब तक राजस्थान (736), उत्तर प्रदेश (324) तथा महाराष्ट्र(417) राज्यों में 1477 समितियां सक्रिय नहीं हैं।

(घ) से (च): सरकार ने देश में हथकरघा बुनकरों के हित के संरक्षण के लिए हथकरघा (उत्पादनार्थ वस्तुओं का आरक्षण) अधिनियम, 1985 लागू किया है। हथकरघों पर उत्पादन के लिए कुछ तकनीकी विशिष्टताओं के साथ 11 वस्त्र मदों को विशेष रूप से आरक्षित किया गया है। कार्यान्वयन एजेंसियां अधिनियम के किसी प्रकार के उल्लंघन की जांच हेतु विद्युतकरघा का निरीक्षण करती हैं। अधिनियम के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए पात्र राज्य सरकारों को योजना के तहत केंद्रीय सहायता भी प्रदान की जाती है। अधिनियम के कार्यान्वयन के लिए 10 पात्र राज्य सरकारों को पिछले तीन वर्षों के दौरान 761.67 लाख रूपये की राशि जारी की गई है।

भारत सरकार, वस्त्र मंत्रालय पूरे देश में हथकरघों के संवर्धन एवं विकास तथा हथकरघा बुनकरों के कल्याण के लिए निम्नलिखित योजनाओं का कार्यान्वयन कर रहा है:

1) राष्ट्रीय हथकरघा विकास कार्यक्रम (एनएचडीपी)
2) व्यापक हथकरघा क्लस्टर विकास योजना (सीएचसीडीएस)
3) हथकरघा बुनकर व्यापक कल्याण योजना (एचडब्ल्युसीडब्ल्युएस)
4) यार्न आपूर्ति योजना (वाईएसएस)

उपरोक्त योजनाओं के तहत कच्चे माल, करघे व सहायक सामान की खरीद, डिजाइन इनोवेशन, उत्पाद विविधीकरण, अवसंरचना विकास, कौशल उन्नयन, हथकरघा उत्पादों के विपणन, रियायती दर ऋण आदि के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। जो सहकारी समितियां सुचारू रूप से कार्य नहीं कर रही हैं वे इन योजनाओं के तहत दी गई सहायता का उपयोग करके अपने निष्पादन में भी सुधार कर सकती हैं।

क. राष्ट्रीय हथकरघा विकास कार्यक्रम (एनएचडीपी)

(i) **ब्लॉक स्तरीय क्लस्टर :** राष्ट्रीय हथकरघा विकास कार्यक्रम (एनएचडीपी) के एक संघटक के रूप में 2015-16 में शुरू किया गया है। कौशल उन्नयन, हथकरघा संवर्धन सहायता, उतपाद विकास, वर्कशेड के निर्माण, परियोजना प्रबंधन लागत, डिजाइन विकास, सामान्य सुविधा केंद्र (सीएफसी) की स्थापना इत्यादि जैसी विभिन्न मध्यस्थताओं के लिए प्रति बीएलसी 2.00 करोड़ रुपए तक की वित्तीय सहायता का प्रावधान है। इसके अलावा, जिला स्तर पर एक डाई हाउस की स्थापना के लिए 50.00 लाख रुपये तक की वित्तीय सहायता भी उपलब्ध है। प्रस्तावों की सिफारिश राज्य सरकार द्वारा की जाती है।

(ii) **हथकरघा विपणन सहायता:** राष्ट्रीय हथकरघा विकास कार्यक्रम का एक संघटक है। हथकरघा बुनकरों/एजेंसियों को अपने उत्पाद सीधे उपभोगताओं को बेचने के लिए विपणन मंच प्रदान करने के उद्देश्य से घरेलू तथा विदेशी बाजारों में विपणन कार्यक्रमों के आयोजन के लिए राज्यों/पात्र हथकरघा एजेंसियों को वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।

(iii) **बुनकर मुद्रा योजना :** बुनकर मुद्रा योजना के तहत हथकरघा बुनकरों को 6% की रियायती ब्याज दर पर ऋण प्रदान किया जाता है। प्रति बुनकर अधिकतम 10,000 रुपए की मार्जिन राशि सहायता और 3 वर्ष की अवधि के लिए ऋण गारंटी भी प्रदान की जाती है। मार्जिन राशि तथा ब्याज छूट के लिए निधियों के संवितरण में विलंब से बचने के लिए पंजाब नेशनल बैंक के सहयोग से **मुद्रा पोर्टल** विकसित किया गया है।

(iv) **हथकरघा संवर्धन सहायता (एचएसएस):**
हथकरघा संवर्धन सहायता (एचएसएस) 1 दिसंबर, 2016 को शुरू की गई थी जिसका उद्देश्य बुनकरों को हथकरघा उत्पादों की उन्नत उत्पादकता एवं गुणवत्ता के माध्यम से उनकी आय में बढ़ोतरी के लिए करघें/सहायक सामान मुहैया कराना है। इस योजना के तहत करघा/सहायक सामान की लागत के 90% का वहन भारत सरकार द्वारा किया जाता है, जबकि शेष 10% का वहन लाभार्थी द्वारा किया जाता है। भारत सरकार का हिस्सा नामित एजेंसी के माध्यम से सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में जारी किया जाता है।

(v) **हथकरघा बुनकरों तथा उनके बच्चों को शिक्षा:**
बुनकरों तथा उनके परिवारों को शैक्षणिक रूप से सशक्त बनाने के लिए वस्त्र मंत्रालय ने इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय(इग्नू) तथा राष्ट्रीय मुक्त विद्यालयी शिक्षा संस्थान (एनआईओएस) के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। एनआईओएस, हथकरघा बुनकरों के लिए दूरस्थ शिक्षण व्यवस्था के माध्यम से डिजाइन, विपणन,व्यवसाय विकास आदि के संबंध में विशेषीकृत विषयों के साथ माध्यमिक तथा वरिष्ठ माध्यमिक स्तरीय शिक्षा प्रदान करता है, जबकि इग्नू, हथकरघा बुनकरों तथा उनके बच्चों को कैरियर की प्रगति हेतु आकांक्षाओं के संगत सुग्मय तथा स्थिति के अनुरूप शिक्षण अवसरों के माध्यम से सतत शिक्षा कार्यक्रम प्रदान कर रहा है।

वस्त्र मंत्रालय, एनआईओएस/इग्नू पाठ्यक्रमों में प्रवेश हेतु हथकरघा बुनकर परिवारों से आने वाले एससी/एसटी, बीपीएल तथा महिला बुनकर शिक्षणार्थियों के लिए प्रवेश शुल्क में 75% प्रतिपूर्ति प्रदान कर रहा है।

(vi) **इंडिया हैंडलूम ब्रांड-** दिनांक 7 अगस्त, 2015 को राष्ट्रीय हथकरघा दिवस के अवसर पर उच्च गुणवत्ता वाले हथकरघा उत्पादों की ब्रांडिंग के लिए माननीय प्रधान मंत्री द्वारा इंडिया हैंडलूम ब्रांड शुरु किया गया था। यह उच्च गुणवत्ता वाले, प्रामाणिक परांपरागत डिज़ाइनों वाले और पर्यावरण पर ज़ीरो डिफैक्ट और ज़ीरो इफैक्ट

वाले उत्कृष्ट हथकरघा उत्पादों के उत्पादन को बढ़ावा देगा । इसकी शुरूआत से दिनांक 31.03.2019 की स्थिति अनुसार 122 उत्पाद श्रेणियों के तहत 1232 पंजीकरण जारी किए जा चुके हैं और 689.72 करोड़ रूपए की बिक्री की सूचना प्राप्त हुई है ।

विभिन्न अग्रणीय ब्रांड के साथ हथकरघा परिधानों को उनके ब्रांड में एक अलग श्रेणी के रूप में प्रदर्शित करने के लिए पहल की गई हैं ।

(vii) **ई-कॉमर्स:** - हथकरघा उत्पादों के ई-विपणन को बढ़ावा देने के लिए एक नीतिगत फ्रेमवर्क तैयार किया गया था जिसके तहत अच्छे ट्रैक रिकॉर्ड वाले इच्छुक ई-कॉमर्स प्लेटफार्म हथकरघा उत्पादों के ऑनलाइन विपणन में भाग ले सकते हैं। तद्नुसार निम्नलिखित 23 ई-कॉमर्स संस्थाओं को हथकरघा उत्पादों के ऑनलाइन विपणन के लिए अनुबंधित किया गया है। 31.03.2019 की स्थिति के अनुसार ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से कुल 34.72 करोड़ रुपये की बिक्री की सूचना प्राप्त हुई है ।

(viii) **शहरी हाट: -** शिल्पकारों/बुनकरों तथा बाहर की गई मध्यम एजेंसियों को पर्याप्त प्रत्यक्ष विपणन सुविधाएं प्रदान करने हेतु बड़े कस्बों/ मेट्रोपोलिटिन शहरों में स्थापित किए गए हैं । अब तक पूरे देश में ऐसे 38 शहरी हाट स्वीकृत किए गए हैं ।

ख. व्यापक हथकरघा कूलस्टर विकास योजना

व्यापक हथकरघा क्लस्टर विकास योजना (सीएचसीडीएस) मेगा हथकरघा क्लस्टरों के विकास के लिए कार्यान्वित की गई है जिसमें कम से कम 15,000 से 25,000 हथकरघे शामिल किए गए हैं और 5 वर्ष की अवधि में 40.00 से 70.00 करोड़ रुपये के भारत सरकार के हिस्से के रूप में वित्तीय सहायता शामिल की गई है। बजट में 8 मेगा क्लस्टर शुरू करने की घोषणा की गई अर्थात वारणासी, शिवसागार (2008-09),विरूद्धनगर, मुर्शिदाबाद (2009-10), प्रकासम एवं गुंटूर जिले और गोड्डा एवं निकटवर्ती जिले (2012-13), भागलपुर एवं त्रिची (2014-15) ।

इस योजना के तहत नैदानिक अध्ययन करने, डिजाइनर को कार्यरत करने, उत्पाद विकास, कच्ची सामग्री के संग्रह, वर्कशेड के निर्माण (बीपीएल/एससी/एसटी/महिला बुनकरों के लिए), कौशल उन्नयन आदि जैसे संघटकों को पूर्णत भारत सरकार द्वारा वित्तपोषित किया जाता है जबकि भारत सरकार द्वारा प्रौद्योगिकी उन्नयन, लाइटिंग इकाइयों जैसे संघटकों को 90% वित्तपोषित किया जाता है और डिजाइन स्टूडियों, विपणन कॉम्पलेक्स, मूल्य वर्धन केंद्रों, प्रचार-प्रसार आदि जैसे सामान्य अवसंरचना परियोजनाओं को 80% की सीमा तक वित्तपोषित किया जाता है।

ग. हथकरघा बुनकर व्यापक कल्याण योजना:

हथकरघा बुनकर व्यापक कल्याण योजना (एससीडब्ल्युएचडब्ल्यु) में प्रधान मंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना (पीएमजेजेबीवाई), प्रधान मंत्री सुरक्षा बीमा योजना (पीएमएसबीवाई) और परिवर्तित महात्मा गांधी बुनकर बीमा योजना (एमजीबीबीवाई) घटकों के तहत जीवन, दुर्घटना और दिव्यांगता बीमा कवरेज प्रदान किया जा रहा है ।

घ. यार्न आपूर्ति योजना:

मिल गेट कीमत पर हर प्रकार का यार्न उपलब्ध कराने के उद्देश्य से देश भर में यार्न आपूर्ति योजना कार्यान्वित की जा रही है। यह योजना राष्ट्रीय हथकरघा विकास निगम के माध्यम से कार्यान्वित की जा रही है । इस योजना के तहत माल-भाड़े की प्रतिपूर्ति की जाती है और डिपो संचालन एजेंसियों को 2% की दर से डिपो संचालन प्रभारों की प्रतिपूर्ति की जाती है। हैंक यार्न पर 10% कीमत सब्सिडी का एक संघटक भी है जो मात्रात्मक सीमा के साथ सूती, घरेलू रेशमी और ऊनी यार्न पर लागू है ।

*****

अनुबंध -I

दिनांक 19.07.2019 को उत्तर के लिए नियत लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 4527 के भाग (क) में उल्लिखित विवरण

2009-10 को हुई तीसरी हथकरघा गणना के अनुसार हथकरघा बुनकर और संबद्ध कामगारों की राज्य-वार संख्या का विवरण

क्र.सं.	राज्य	हथकरघा बुनकरों और संबंद्ध कामगारों की संख्या
1	आंध्र प्रदेश	2,89,809
2	अरूणाचल प्रदेश	33,041
3	असम	16,43,453
4	बिहार	43,392
5	छत्तीसगढ	8,191
6	दिल्ली	2,738
7	गुजरात	11,009
8	हरियाणा	7,967
9	हिमाचल प्रदेश	13,458
10	जम्मू एवं कश्मीर	33,209
11	झारखंड	21,160
12	कर्नाटक	89,256
13	केरल	14,679
14	मध्य प्रदेश	14,761
15	महाराष्ट्र	3,418
16	मणिपुर	2,18,753
17	मिज़ोरम	43,528
18	मेघालय	13,612
19	नागालैंड	66,490
20	ओडिशा	1,14,106
21	पांडिचेरी	2,803
22	पंजाब	2,636
23	राजस्थान	31,958
24	सिक्किम	568
25	तमिलनाडु	3,52,321
26	तेलंगाना	66,029
27	त्रिपुरा	1,37,177
28	उत्तर प्रदेश	2,57,783
29	उत्तराखंड	15,468
30	पश्चिम बंगाल	7,79,103
	कुल	43,31,876